

# छात्रों के दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग के नियम

1. महाविद्यालय परिसर में पार्किंग के लिए सीमित स्थान उपलब्ध है।
2. दोपहिया वाहनों का प्रवेश प्रातः 10:30 बजे तक ही होगा।
3. दोपहिया वाहनों की निकासी दोपहर 2:30 बजे से होगी, इस दौरान पार्किंग परिसर में दोपहिया वाहनों की आवाजाही पूर्णतः बन्द रहेगी।
4. निर्धारित पार्किंग स्थान के अतिरिक्त परिसर में वाहन खड़े करना वर्जित है।
5. वाहनों को क्षति के लिए कॉलेज प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा।
6. ध्वनि प्रदूषण करने वाले दोपहिया वाहनों का चालान करवाया जाएगा।
7. पार्किंग सुविधा के लिए अनुशासन के नियम अनिवार्य हैं।
8. मुख्य गेट व पार्किंग स्थल के बीच आने जाने की अनुमति केवल एक वाहन चालक को ही होगी। दो या तीन सवार मान्य नहीं होंगे।
9. दोपहिया वाहन प्रवेश व निकासी के समय ध्वनि रहित न्यूनतम गति सीमा (10 कि. मी. प्रति घण्टा) ही मान्य होगी।
10. प्रातः 10:30 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को परिसर में दोपहिया वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी।

**नोट:-** उपरोक्त पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर 100 रूपए जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि कोई बार-बार नियमों की अवहेलना करता है तो महाविद्यालय परिसर की शांति भंग करने के दोष में उसका नाम काट कर दण्डित किया जाएगा।

प्राचार्य आदेशानुसार  
राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब